

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या / ३९ / 2017

दायर दि०  
फैसल दि०

श्री दत्तपूराम मि शेगा अनवान  
बनाम भूमिधारी (तहसीलदार)  
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री दत्तपूराम मि शेगा ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा देवपुरा के खाता नम्बर ८ जमाबन्दी सं० २०२-२५  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम दत्त मि शेगा  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम दत्तपूराम  
मि शेगा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम दत्त मि शेगा  
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम दत्तपूराम मि शेगा  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश  
दिया जाता है कि मोजा देवपुरा की जमाबन्दी संवत् २०२-२५  
के खाता संख्या ८ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत  
नाम दत्त मि शेगा में संशोधन कर सही नाम  
दत्तपूराम मि शेगा दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा